न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No. 2021/260 (Bank Case)
Manual no- 117/2021

कैन फिन होम्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 29/1, तृतीय तल, श्री एम.एन. कृष्णा राव रोड़, बसावनगुडी, बैंगलोर–560004 एंव शाखा कार्यालय– 1–सी –18,एस.एफ.एस., प्रथम तल, आगे की ओर शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा राजस्थान–324005 जरिये प्राधिकृत अधिकारी संजय कुमार सैनी

-- **प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री कल्याण प्रसाद शर्मा **(ऋणी/अप्रार्थीगण)**
   पता– प्लॉट नं.–384, गणेश नगर, इंद्रपुरा, कोटा (राज.)
2. श्रीमति सुनिता शर्मा पत्नि श्री हनुमान प्रसाद शर्मा **(गारन्टर)**
   पता– प्लॉट नं.–384, गणेश नगर, इंद्रपुरा, कोटा (राज.)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 24.11.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कैन फिन होम्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 29/1, तृतीय तल, श्री एम.एन. कृष्णा राव रोड़, बसावनगुडी, बैंगलोर–560004 एंव शाखा कार्यालय– 1–सी –18,एस.एफ.एस., प्रथम तल, आगे की ओर शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा राजस्थान से अप्रार्थी/ऋणी को 10,47,000 (अक्षरेः रूपये दस लाख सेतालीस हजार मात्र ।) ऋण राशि दिनांक 03.01.2018 व 7,45,000 (अक्षरेः रूपये सात लाख पेतालीस हजार मात्र ।) ऋण राशि दिनांक 04.01.2018 को इस प्रकार कुल ऋण 17,92,000/–(अक्षरेः रूपये सात्रह लाख बरानवें हजार मात्र ।) लिया था । अप्रार्थी ऋणीं द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री कल्याण प्रसाद शर्मा की सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं. 384, गणेश नगर, इंद्रपुरा, कोटा (राज.) में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 414.41 वर्ग मीटर है। जो जर्ये नगर विकास न्यास द्वारा जारी पट्टा संख्या 82 दिनांक 19.07.2001 से श्री हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री राम कल्याण शर्मा के नाम है। सीमाएं– पूर्व में– अन्य का मकान, पश्चिम में– रोड, उत्तर में--मं.नं. 383, दक्षिण में– मं.नं. 385,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 28.02.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 18,39,764/–(अक्षरे रूपये अठारह लाख उनतालीस हजार सात सौ चोषठ मात्र।) बकाया रकम दिनांक 04.04.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत दिनांक 05.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये,

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीयसंस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 05.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 05.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री कल्याण प्रसाद शर्मा की सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं. 384, गणेश नगर, इंद्रपुरा, कोटा (राज.) में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 414.41 वर्ग मीटर है। जो जर्ये नगर विकास न्यास द्वारा जारी पट्टा संख्या 82 दिनांक 19.07.2001 से श्री हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री राम कल्याण शर्मा के नाम है। सीमाएं– पूर्व में– अन्य का मकान, पश्चिम में– रोड, उत्तर में–मं.नं. 383, दक्षिण में– मं.नं. 385,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 24.11.2021 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)